छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

क्रमांक..01.........वि.स. / सं.–01 / 2025 रायपुर, दिनांक..21..5..2025

/ / निविदा विज्ञप्ति / /

नवा रायपुर में निर्माणाधीन नवीन विधान सभा भवन परिसर में भारत रत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी की 14 फीट ऊॅंची गनमेटल की प्रतिमा के निर्माण एवं प्रतिष्ठापन हेतु प्रतिष्ठित शिल्पकारों / निर्माताओं से सीलबंद निविदा शुक्रवार, दिनांक .20.06.2025 को सायं 4:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है । यह भी आवश्यक होगा कि इच्छुक निविदाकार पूर्व में उनके द्वारा किन स्थानों पर एवं किनकी प्रतिमाएं निर्मित कर प्रतिष्ठापित की गई है का विवरण देते हुए प्रतिष्ठापित प्रतिमाओं के फोटो ग्राफ्स् संलग्न करे एवं उन संस्थाओं के क्रय आदेश की छायाप्रति भी संलग्न करते हुए उनसे संपर्क हेतु उनके दूरभाष नम्बर भी देवें।

निविदा की विस्तृत शर्ते / जानकारी शासकीय कार्य दिवसों में छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय के संपदा शाखा बी–7 से प्राप्त की जा सकती है, अथवा विधान सभा सचिवालय की **वेबसाईट www. cgvidhansabha.gov.in** से डाउनलोड भी की जा सकती है, जिसके शुल्क के रूप में रूपये 1000 / – (अक्षरी एक हजार मात्र) विधान सभा सचिवालय की "लेखा शाखा" में, निविदा प्रस्ताव जमा करने के पूर्व जमा करना आवश्यक होगा ।

अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा

नवीन विधान सभा भवन, नया रायपुर मे
भारत रत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी बाजपेयी की 'गनमेटल' धातु से निर्मित प्रतिमा का प्रतिष्ठापन

–: निविदा की शर्ते :–

1. स्वर्गीय श्री अटल बिहारी बाजपेयी की प्रतिमा 'गनमेटल' धातु से ही निर्मित की जावेगी।

2. निविदाकार के पास गनमेटल धातु से विशाल प्रतिमाओं के निर्माण किये जाने का कम से कम 10 वर्षो का पूर्व अनुभव हो। साथ ही छत्तीसगढ़ विधान सभा अथवा छत्तीसगढ शासन के अन्य किन्हीं संस्थाओं में पूर्व में किन्हीं प्रतिमाओं का निर्माण कर प्रतिष्ठापन किये गये हों तो, ऐसे निविदा प्रस्तावकों को प्राथमिकता दिये जाने पर विचार किया जा जावेगा ।

3. प्रतिमा 14 फिट ऊंची एवं वजन अधिकतम 1400 किलो होगी ।

4. प्रतिमा के निर्माण में Polymer clay, angle frame, Clay for base molding POP. Wax Polish, Coconut buch, Rubber Mould Praffin wax and microcystlline wax, catalyst brick Power, thermocol, metal, fire brick, coke peetal rod carbide, putty, paint etc.,,Gun Metal (Alloy, Coppr, Zing, Teen, Led) Stuff – Gun Metal, colour – Bronze paint 2K Auto-finish (glossy finish). आदि प्रयुक्त किया जाना होगा।

5. प्रतिमा को वास्तविक रूप दिये जाने का कार्य आरंभ किये जाने से पूर्व प्रतिमा का ''क्ले मॉडल'' के अनुमोदन सचिवालय द्वारा किया जावेगा ।

6. आवश्यक होने एवं सचिवालय द्वारा वांछित होने पर निविदाकार को पॉवर पांईट प्रजेनटेशन भी दिया जाना होगा ।

7. सफल निविदाकार को प्रतिमा का निर्माण करते हुए उसका प्रतिष्ठापन नवीन विधान सभा भवन परिसर में निर्धारित स्थान पर अपने स्वयं के व्यय एवं साधनों पर ही कराया जाना होगा। अर्थात प्रतिष्ठापन हेतु पृथक से किसी तरह का भुगतान नहीं किया जावेगा ।

8. निविदाकार द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले दर में सम्पूर्ण दरें सम्मिलित हों अर्थात निर्धारित दरों के अतिरिक्त किन्हीं भी अन्य व्ययों हेतु पृथक से भुगतान नहीं किया जावेगा ।

9. निर्मित किये जाने वाले दर प्रति किलो वजन की दर से हो अर्थात प्रति किलो दर रूपये.......X 1400 किलोग्राम = रू................... ।

10. निविदा के साथ अमानत राशि रूपये 01.00 लाख (अक्षरी रूपये एक लाख मात्र) का बैंक ड्राफ्ट जो सचिव छत्तीसगढ़ विधान सभा के पक्ष में जारी हो, संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा । बिना अमानत राशि के निविदा प्रथम दृष्टया अमान्य हो जायेगी ।

11 निविदा दो पृथक–पृथक लिफाफे मे हो । अर्थात एक लिफाफे मे दर प्रस्ताव व अन्य दस्तावेज एव द्वितीय लिफाफे मे केवल अमानत राशि का ड्राफट हो । इस तरह इन दोनों लिफाफों को एक अलग बडे लिफाफे में रख कर प्रस्तुत किया जाना चाहिए ।

12. निविदा के साथ पिछले 03 वर्षों का आयकर गणना प्रपत्र एवं जी.एस.टी. संबंधी पंजीयन की छाया प्रति तथा 3बी की प्रति भी संलग्न करें ।

13. उपरोक्त तरह से सीलबन्द लिफाफे शुक्रवार, दिनांक 20 जून, 2025 को सांय 04.00 बजे तक बलोदा बाजार रोड़, जीरो पांईट स्थित छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, के 'संपदा शाखा कक्ष क्रमांक बी–7 में जमा कराये जा सकेगें ।

14. उक्त निर्धारित तिथि को निर्धारित समय के पश्चात प्राप्त निविदाएं अमान्य की जावेगी । निर्धारित तिथी तक प्राप्त सीलबंद लिफाफे छत्तीसगढ़ विधान सभा की 'क्रय समिति' के समक्ष सोमवार, दिनांक 23 जून, 2025 को सायं 04 बजे छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय में खोले जायेगें । निविदाकार इच्छुक हों तों तत्समय वे अथवा उनके प्रतिनिधि उपस्थित हो सकते हैं ।

15. किसी भी निविदा या सभी निविदाओं को बिना कारण बताए, कभी भी निरस्त करने का अधिकार, सचिव छत्तीसगढ़ विधान सभा के पास सुरक्षित होगा ।

16. किसी भी विवाद की स्थिति में माननीय अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ विधान सभा का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा ।

भुगतान की शर्तें

प्रतिमा निर्माण हेतु प्रस्तावित कुल राशि का 25 प्रतिशत अग्रिम ''क्ले माडल'' स्वीकृति के पश्चात्, 40 प्रतिशत प्रतिमा की ढलाई के पश्चात् तथा शेष राशि का भुगतान प्रतिमा के नवीन विधान सभा परिसर में निर्धारित स्थान पर प्रतिष्ठापित किये जाने के उपरांत की जावेगी ।

सचिव
छत्तीसगढ़ विधानसभा